कार्यालय,वनमण्डलाधिकारी,सामान्य वनमण्डल,खरगोन

दूरभाष : ([illegible]) [illegible] फैक्स : [illegible] ई–मेल : dfotkgone@mp.gov.in

खरगोन, दिनांक 07/03/2020

क्रमांक/मा.चि./2020/2131

प्रति,

संशोधित

कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लि. खरगोन द्वितीय

विषय :– Diversion of 20.686 ha. (instead of 24.00 ha) Reserved Forest land for laying of 33 KV Electric line from village Chiriya to Titraniya for providing Electrical supply to 33/11 KV Sub Station at village Titraniya in favour of Executive Engineer, M.P.P.K.V.V.C.Ltd, Khargone.

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक/6-MPC 029/2019–BHO/732 दिनांक 02.07.2019 ।

—"—

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित योजना में प्रथम चरण की सशर्त सैद्धांतिक सहमति जारी की जाकर अधिरोपित शर्तो की पूर्ति/पालन कराया जाकर प्रतिवेदन प्रेषित करने बाबत् निर्देशित किया गया है। शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत खुला वन व रिक्त क्षेत्र है। अतः भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्रमांक–5 के पालन में प्रभावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की आवश्यक राशि कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार जमा कराया जाना सुनिश्चित करे :–

प्रभावित वनभूमि हे.में	वन की ईको वैल्यू श्रेणी	वन का घनत्व	दर प्रति हेक्टर	राशि रूपये
20.686	III ऊर्ष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन	खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम)	6.26 लाख	12949436/–

उक्त शर्त के पालन में भविष्य में शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की अतिरिक्त राशि जमा कराये जाने के संबंध में वचन–पत्र प्रस्तुत करें।

उक्त योजना से प्रभावित वनभूमि के बदले दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में परिक्षेत्र चिरीया, बीट राजपुरा, कक्ष क्रमांक–917 में 41.372 हे. पर क्षतिपूर्ति वनीकरण किया जाना है, इस हेतु **आवश्यक राशि रूपये 13189908/–** इस प्रकार NPV एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण की **कुल राशि रूपये 26139344/– कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से** जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–11/2018/10–11/3753 दिनांक 05.12.2018 के अनुसार योजना से प्रभावित वनभूमि पर खड़ी वनोपज की कटाई–छटाई, एकत्रीकरण, परिवहन एवं अन्य व्यय हेतु **आवश्यक राशि रूपये 3225/–** एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ –4/109/2019/10–11/945 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि का 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की आवश्यक राशि रूपये **1318990/–** इस प्रकार प्रभावित वनभूमि पर खड़ी वनोपज की कटाई–छटाई, एकत्रीकरण, परिवहन एवं अन्य व्यय तथा पर्यवेक्षण शुल्क की कुल राशि रूपये **1322215/– म.प्र. कोषालय की वेब साईड WWW.mptreasury.org पर जाकर CyberTreasury** पर क्लिक कर जमा कराये।

Scanned with CamScanner

कृपया विषयांकित योजना की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पूर्ण पालन कर प्रतिवेदन 01 सप्ताह की अवधि में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि प्रतिवेदन से वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जाकर योजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत अंतिम औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके ।

उल्लेखनीय है कि योजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत अंतिम औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होने तक प्रस्तावित वनभूमि का वनेत्तर उपयोग नही किया जा सकता।

संलग्नः- यथोपरी।

(जे.एस.भार्गव)
वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

पृष्ठा. क्रमांक / मा.चि. / 2020 / खरगोन दिनांक

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त, खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

सही-
वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

पृष्ठा. क्रमांक / मा.चि. / 2020 / खरगोन दिनांक

प्रतिलिपि :-1. उप वनमण्डलाधिकारी भीकनगॉव एवं
2. वन परिक्षेत्राधिकारी चिरीया / तितरान्या
की ओर सूचनार्थ।

सही-
वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

Scanned with CamScanner